


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार विकलांग भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक: एफ. 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक:13.10.1984 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.1989, 02.05.1998, 12.09.2008 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक:25.04.2012 के अन्तर्गत निम्नांकित कार्मिकों को इनके आवेदन की दिनांक से उनके मूल वेतन का छः (6) प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	आवेदन तिथि
1.	श्रीमती ललिता देवी, अटारी (नदबई) भरतपुर	गणित	24.01.2020

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय होगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/विकलांग भत्ता/2020/91 दिनांक:12/06/2020
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा), माध्यमिक, संभाग भरतपुर, भरतपुर।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) भरतपुर।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि अटारी (नदबई) भरतपुर को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6. संबंधित कार्मिक।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर